



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1070]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 14, 2013/वैशाख 24, 1935

No. 1070]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 14, 2013/VĀISAKHA 24, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2013

का.आ. 1215 (अ).— जबकि केन्द्र सरकार ने अपनी समीक्षा के भाग के रूप में दिल्ली मुख्य योजना-2021 में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित नोटिस की तिथि से नब्बे दिनों के अन्दर आपत्तियों/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना के रूप में का.आ. 2344(अ) दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था ।

2. जबकि केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मुख्य योजना-2021 को संशोधित करने का निर्णय किया है ।

3. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

अध्याय-वार संशोधन निम्नानुसार हैं :

| अध्याय/<br>क्र.सं.    | दि.मु.यो.2021का<br>पैरा/खंड/तालिका | संशोधन  |
|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1                     | 2                                  | 3   |
| अध्याय 1.0-प्रस्तावना |                                    |   |
| 1.                    | पैरा 20 (ड.)                       | • गंदीबस्तियों (स्लम) की वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से सभी समूह आवासों में प्लॉट पर प्रस्तावित एफ.ए.आर.के न्यूनतम 15 प्रतिशत की सीमा तक ई.डब्ल्यू.एस. आवासों /स्लम पुनर्वास की अनिवार्य व्यवस्था । |

198851/2013

(1)

| अध्याय 4.0 आश्रय |  |   |
|------------------|--|---|
| 2.               | पैरा 4.2 आवास नीति                       | <p>निम्नलिखित पैराग्राफ को मोटे अक्षरों में लिखे पाठ के अनुसार बदल दिया जाए :</p> <p>नियत सघनता से, भूमि के अधिकतम उपयोग की कृत्रिम सीमाओं को लागू करने से एफ.ए. आर. का कम उपयोग होगा, क्योंकि भूमि सीमित वस्तु है ।</p> <p>अतः आवासीय इकाई (आ.इ.) के आकारों की सदृश श्रेणी के निम्नलिखित सघनता मानदंड प्रस्तावित हैं:</p> <p>स्लम/ई.डब्ल्यू.एस. आवास (30 वर्गमीटर तक)—600 आ.इ./हैक्टे.</p> <p>श्रेणी-I (30 से अधिक— 40 वर्ग मीटर तक)—500 आ.इ./हैक्टे.</p> <p>श्रेणी-II (40 से अधिक— 80 वर्ग मीटर तक)—250 आ.इ./हैक्टे.</p> <p>श्रेणी-III ( 80 वर्ग मीटर से अधिक )—175 आ.इ./हैक्टे.</p> <p>चूंकि नये क्षेत्र में आवासों के विकास अथवा निर्मित क्षेत्र में विद्यमान आवासीय स्टॉक के पुनर्विकास का कार्य सार्वजनिक एजेंसियों, सोसायटी अथवा निजी विकासकर्ताओं द्वारा किया जाएगा, इसलिए भूमि के अधिकतम उपयोग को पाने के लिए आवासीय इकाइयों के परिवर्तनशील आकारों सहित सघनता की उच्चतम सीमा 200 आ.इ./हैक्टे. (900 पी.पी.एच.) के रूप में निर्धारित की जाएगी। स्लम एवं जे. जे. समूहों स्लम (जे.जे. समूहों के स्व स्थाने उन्नयन/पुनर्वास/पुनर्विकास पुनःस्थापित कालोनियों) में सघनता, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सार्वजनिक आवासीय योजना 900 आ.इ.प्रति हैक्टे. से अधिक नहीं होनी चाहिए । (15%मिन्नता अनुमेय है)</p> |
| 3.               | पैरा 4.2.3.3 शहरी गरीबों के लिए नये आवास | <p>... समूह आवास के विकासकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित एफ.ए.आर. के 15 प्रतिशत का निर्माण समुदाय सेवा कार्मिकों/ई.डब्ल्यू.एस. और निम्न आय श्रेणी के लिए किया जाए। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी एजेंसियों के नियोक्ता आवासों के मामले में समुदाय सेवा कार्मिकों/ई.डब्ल्यू.एस. और निम्न आय श्रेणी के लिए एफ.ए.आर. या आवासीय इकाइयों की शर्त का पालन करना अपेक्षित नहीं है ।</p>   |
| 4.               | पैरा 4.4.3 ख. आवासीय प्लॉट—समूह आवास     | <p>निम्नलिखित पैराग्राफ को मोटे अक्षरों में दिए गए पाठ के अनुसार बदल दिया जाए:—</p> <p>(i) विशिष्ट श्रेणियों के लिए घनत्व (सभी श्रेणियों में 10 प्रतिशत अन्तर अनुमेय है) निम्नानुसार अलग-अलग हो सकता है:—</p> <p>क) श्रेणी-I ( 40 वर्ग मीटर तक)—500 आ.इ./हैक्टे.</p> <p>श्रेणी-II (40 से अधिक—80 वर्ग मीटर तक)—250 आ.इ./हैक्टे.</p> <p>श्रेणी-III 175 आ.इ./हैक्टे. (80 वर्गमीटर से अधिक)</p> <p>(i) भूमि का अधिकतम उपयोग करने के लिए आवासीय इकाइयों के परिवर्तनशील आकारों सहित घनत्व की उच्चतम सीमा 200 आ.इ./हैक्टे.(900 पी.पी.एच.) के रूप में निर्धारित की जाएगी । स्लम एवं जे.जे. समूहों स्लम (जे.जे. समूहों के स्व स्थाने उन्नयन/पुनर्वास/पुनर्विकास पुनःस्थापित कालोनियों) में सघनता, और आर्थिकरूप से कमजोर वर्ग की सार्वजनिक आवासीय योजना 900 आ.इ.प्रति हैक्टे. से अधिक नहीं होनी चाहिए । (15%मिन्नता अनुमेय है)</p>   |
| 5.               |  | <p>(iii) सामुदायिक आवश्यकताओं जैसे समाज सदन/मनोरंजन हॉल, क्लब, पुस्तकालय, वाचनालय, वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन कक्ष/क्लब एवं सोसायटी कार्यालय को पूरा करने के लिए एफ.ए.आर. से अलग न्यूनतम 400 वर्गमीटर अथवा अनुमेय एफ.ए.आर. के 0.8 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त तल क्षेत्रफल की अनुमति दी जाएगी।</p>   |
| 6.               |  | <p>(v) विकासकर्ता सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित एफ.ए.आर. के न्यूनतम 15 प्रतिशत का निर्माण समुदाय सेवा कार्मिकों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई डब्ल्यू एस) एवं निम्न श्रेणी के लिए किया जाए । ऐसे प्लॉटों का 25-40 वर्ग मीटर के बीच कुर्सी क्षेत्रफल (कर्वेट एरिया) होना चाहिए । समुदाय सेवा कार्मिकों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न श्रेणी आवासों के लिए प्रस्तावित एफ.ए.आर. का यह 15 प्रतिशत, 200 अनुमत एफ.ए.आर. एवं 200 रिहायशी इकाइयों की सघनता से अधिक होगा । केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य सरकारी एजेंसियों के नियोक्ता आवासों के मामले में समुदाय सेवा कार्मिकों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय श्रेणी के लिए एफ.ए.आर. अथवा आवासीय इकाइयों की शर्त का पालन करना अपेक्षित नहीं है ।</p>  |

